न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2017

रामकुमारी पत्नी सियाराम जाति जाटव निवासी 2 ए बडा खखां तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

बनाम

1. करनेलसिंह पुत्र गुरबख्ससिंह जाति तरखान निवासी 2 ए खखां तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलदेवसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति रायसिख निवासी खखां तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 20.02.2017

उपस्थितिः—

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक अपीलांट ।

श्री बलजीतसिंह बराड, अभिभाषक रेस्पों. ।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांक :— 05.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251 (क) के तहत पेश कर उसकी चक 2 ए बडा के खाता संख्या 8/35, 6, 77, 83 मु.न. 7 के कि.न. 23 से 25 व 12, 33, 34, 36 में स्थित है। प्रार्थी के रकबा मु.न. 7 के कि.न. 25 में जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता होने के कारण तथा कि.न. 25 के साथ लगता कि.न. 16 अप्रार्थी सं. 2 का होने तथा इस किला तक रास्ता

5/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होने के कारण प्रार्थी ने कि.न. 16 में से पूर्वी तरफ पत्थर लाईन के साथ सवा 8 गुणा 165 फीट भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 18.05.08 को अप्रार्थी सं0 2 से क्रय की तथा प्रार्थी के मु.न. 7 के कि.न. 25 में जाने के लिए रास्ता चालू हो गया जो लगातार चालू है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना रकबा मु.न. 7 के कि.न. 16, 17/1 के 0.014 को अप्रार्थी सं01 को विक्रय कर दिया जबकि कि.न. 16 में से सवा 8 गुणा 165 फीट पहले से ही प्रार्थी को विक्रय किया हुआ था । इस प्रकार अप्रार्थीगण ने मिली भगत करके कि.न. 16 का सवा 8 गुणा 165 फीट भूमि गलत विक्रय किया है । रकबा अप्रार्थी सं.1 के नाम हो जाने से उसके मन में लालच आया हुआ हैं एवं वह रास्ता को बंद करना चाहती है। प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि मु.न. 7 के कि.न. 16 में पूर्वी साईड एक बिस्वा चौडाई में यानि सवा 8 गुणा 165 फीट प्रचलित रास्ता जो प्रार्थी की खरीदशुदा है को स्वीकृत करने व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जावें।

अप्रार्थी रामकुमारी ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ कोई इकरारनामा नहीं किया है इसलिए प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावें ।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 20.02.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मु.न. 7 के कि.न. 16 में एक बिस्वा रास्ता मु.न. 8 के साथ चिपता हुआ स्वीकार करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था जिस पर अधी.न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। रेस्पो. को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता नहीं थी । अधी.न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की प्रक्रियां के बाहर जाकर आदेश पारित किया है । रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व रास्ता के औचित्य के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई । अधी. न्यायालय ने जो राजस्व स्वीकृत किया है वह न्यायोचित नहीं

5/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि जो रास्ता अधी.न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया है वह भूमि रेस्पो. ने जरिये इकरारनामा क्रय की गई थी एवं मौका पर रास्ता चालू है । इस रास्ता के अलावा रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में अधी.न्यायालय ने पूर्ण रूप से जांच की गई हैं इसके अलावा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट को मुआवजा राशि भी दिलाने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

बहस मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें खातेदार करनेलसिंह पुत्र गुरबक्ससिंह को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मु.न. 7 के कि.न. 25 में जाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत रास्ता स्वीकृत किया गया है । अपील मीमों में रास्ता स्वीकृति की जो आपत्तियां दर्शाई है उसमें वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद रास्ता स्वीकृत करना तथा रास्ता स्वीकृत से पूर्व मौका निरीक्षण की विधिक प्रक्रियां पूर्ण नहीं करना यथा पक्षकारान को नोटिस जारी नहीं करना आदि बताऐ ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय की पत्रावली में पटवारी, भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट 185 दिनांक 24.01.16 जो मूल रूप से भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार की है, में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना रिपोर्ट व नजरी नक्शे में भी नहीं होना दर्शाया है तथा अधी.न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता, स्वीकृत किया जाना उचित दर्शाया है।

अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.2.2017 में रेस्पो. को रास्ता की आवश्यकता को विवेचित करते हुए देय मुआवजा राशि के भुगतान की शर्त पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रास्ता स्वीकृत किया है, के निर्णय में कोई कानूनी नुक्स नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर